न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज दौलतराम बनाम रामजीलाल वगैरा मु.नं. 16 /2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15-5-24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बाबत आदेश दिनांक 29.5.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	
29.05.2024	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा मु.नं. 61/91 से प्रार्थीगण की फर्जी तामिल करवाकर दावा का निर्णय दिनांक 24.07.1991 को डिक्री करवा लिया जो अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2022 को पटवारी से नकल लेने पर पता चला कि वादी ने तामिल कुनिन्दा से साज करके न्यायालय में गलत तामिल पेश कर दिनांक 29.07.1991 को प्रतिवादी नं. 1 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो गलत है। प्रकरण में दौलतराम वादी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने एकपक्षीय निर्णय/डिक्री दिनांक 29.07.1991 को निरस्त करने बाबत पेश कर अर्ज है कि उक्त एकपक्षीय आदेश का निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थीगण को प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। मृतक वारिसान की ओर से श्री उमेश कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाव में अंकित किया कि प्रश्नगत प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश साक्ष्य सायल एवं रिकॉर्ड का अवलोकन कर न्यायालय हाजा ने गुणावगुण पर दिनांक 24.07.1993 को निस्तारित कर निर्णय व डिक्री पारित की जिसकी प्रार्थीगण के स्व0 पिता रामजीलाल को पूर्ण जानकारी थी जिन्होने निर्णय होने के बाद से अपनी मृत्यु पूर्व दिनांक 16.04.2021 तक कोई आपत्ति व उज्र नही किया है। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रार्थीगण को भी शुरू से पूर्ण जानकारी रही प्रार्थीगण का उक्त भूमि आराजीयात पर आज दिन तक कोई कब्जा नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षो की बहस	उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत विलम्ब का कोई उचित कारण प्रस्तुत नही किया है। न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट महवा के निर्णय दिनांक 24.07.1993 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थीगण की असालतन तामील होने पर तथा न्यायालय में उपस्थित होने के समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विधिसम्मत निर्णय दिया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा